कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए/उवसं/2018–19/4868 दिनांकः– 26-04-2018

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Diversion of 3.01 Hectare Forest Land for Construction of 220 K/V D/C Ajmer-Bherunda for Excutive Engineer (T & C), RVPNL Ajmer

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा ईडीसी दिनांक 06.03.2018, 13.04.2018 व अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि., अजमेर का पत्रांक 57 दिनांक 16.04.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के सन्दर्भित पत्र द्वारा ईडीसी द्वारा लगाये गये आक्षेपों की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 4119 दिनांक 04.04.2018 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि., अजमेर के पत्रांक 57 दि. 16.04.2018(छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण में कुछ बिन्दुओं पर सूचनायें भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं जो निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र.सं.	अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी) का पत्र दि.16.04.2018	विवरण
1	बिन्दु संख्या 3 अनुसार प्रस्तावों में 7.84 है0 हेतु प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वनभूमि के समस्त कॉनर्स के जी.पी.एस. कॉर्डीनेट्स नहीं दिये गये है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है। डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वनभूमि के समस्त कॉनर्स के जी.पी.एस. कॉर्डीनेट्स दर्शाते हुए प्रस्तावों के पेज नं.121 पर पूर्व में संलग्न हैं।
2	बिन्दु संख्या 5 अनुसार उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा 1 किमी दीवार निर्माण के संदर्भ में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण चाही गई है किन्तु उसकी राशि अंकित नहीं है।	1 किमी दीवार निर्माण हेतु राशि 24.00 लाख की आवश्यकता होगी।
3	बिन्दु संख्या 10 अनुसार उप वन संरक्षक नागौर एवं अजमेर द्वारा पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधों के वृक्षारोपण की राशि नहीं ली गई है।	इस कार्यालय के पत्रांक 4119 दि.04.04.2018 में औषधीय पौधों हेतु राशि 1595300/–रू. की आवश्यकता होगी, अंकित कर दिया गया हैं जिसका प्राक्कलन संलग्न है।
4	पारेषणलाईन के नीचे आने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है। कुल वृक्षों की सूची, पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षों की सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	सूची संलग्न है।
	Additional information is needed	
1	पारेषणलाईन के नीचे आने वाले वृक्षों की सूची संबंधित उप वन संरक्षक, अजमेर एवं नागौर द्वारा न हीं कि गयी है। इसमें कुल वृक्षों की सूची पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षों की सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	पारेषणलाईन के नीचे आने वाले वृक्ष जिनका पातन एवं छंगाई की जानी है, की सूची संलग्न प्रेषित है।
2	यूजर एजेन्सी द्वारा पारेषण लाईन में जीटी शीट में टावर लोकेशन नहीं दर्शाये गये है।	पारेषण लाईन में जीटी शीट में टावर लोकेशन को दर्शा दिया गया है। जीटी शीट संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार एवं सीडी(4)

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर

220KV D/C AJMER BHERUNDA TRANSMISSION LINE

(Proposal No. FP/RJ/TRANS/29091/2017)

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G43I10

Scale 1:50,000

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

1st Edition 2011.

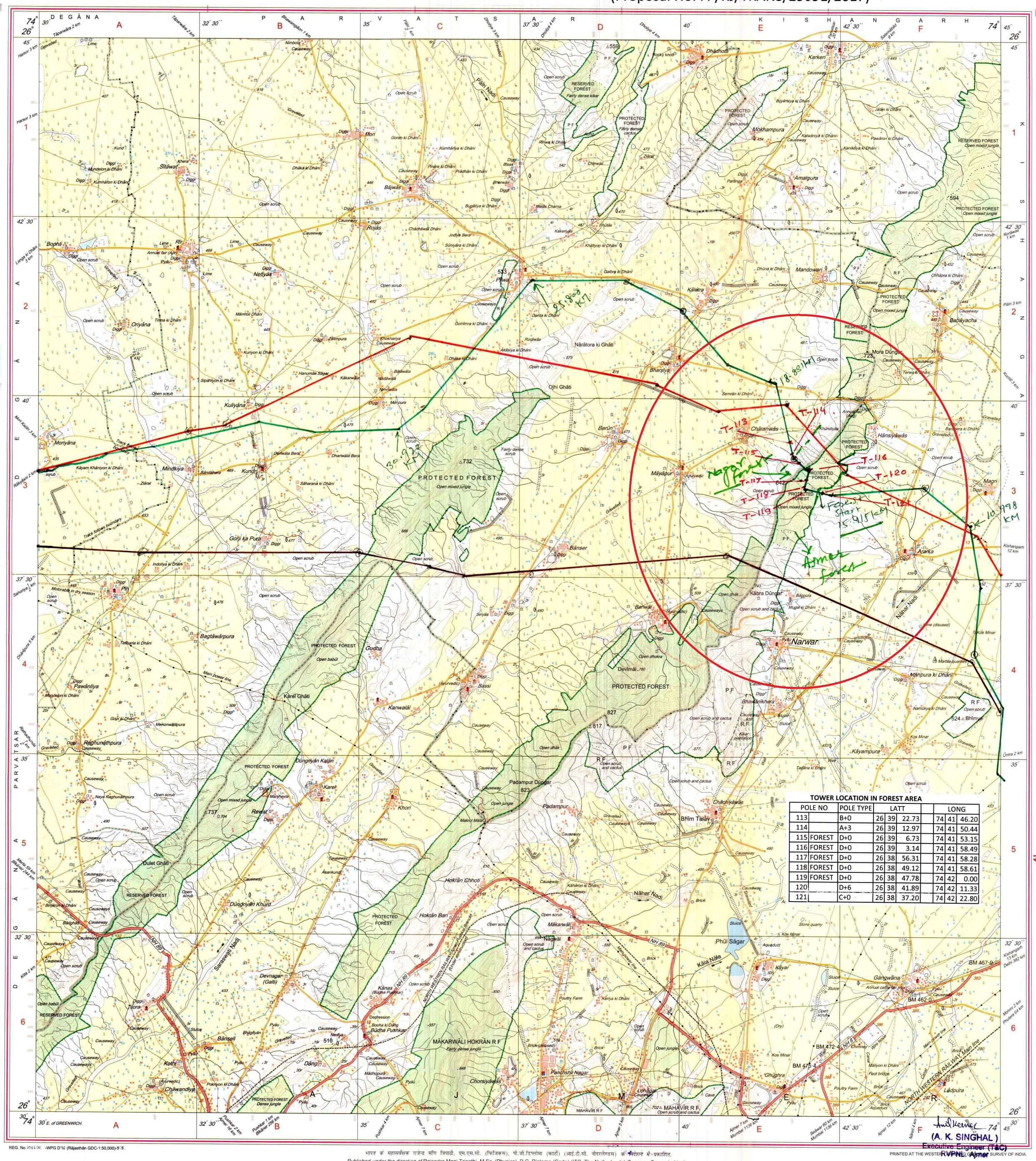

TOWER LOCATION IN FOREST AREA

POLE NO		POLE TYPE	LATT				LONG		
113		B+0	26	39	22.73		74	41	46.20
114		A+3	26	39	12.97		74	41	50.44
115	FOREST	D+0	26	39	6.73		74	41	53.15
116	FOREST	D+0	26	39	3.14		74	41	58.49
117	FOREST	D+0	26	38	56.31		74	41	58.28
118	FOREST	D+0	26	38	49.12		74	41	58.61
119	FOREST	D+0	26	38	47.78		74	42	0.00
120		D+6	26	38	41.89		74	42	11.33
121		C+0	26	38	37.20		74	42	22.80

संकेतक • T115 Tower No.

Proposed route

Alternate route 2

Alternate route 1

CONVENTIONAL SYMBOLS

REFERENCES

NOTES

COMPILATION INDEX

Projection - UTM Datum - WGS 84

Scale 1:50,000

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

For further details about this map, please contact Director Rajasthan Geo-Spatial Data Centre Survey of India Sector 10, Vidyadharnagar Jaipur.

WEBSITE - www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2011.

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

उप वन संरक्षक अजमेर

SR
26-4-18

कार्यालय अधीशांषी अभियंता (टीएण्डसी)आरवीपीएन, अजमेर

निमित्त

उप वन सरंक्षक
अजमेर

विषय :- अजमेर - भैरूंदा लाइन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या FP /RJ/TRANS/ 29091/2017 ।

सन्दर्भ :- EDS-1jaipur Dated 13.04.2018 के क्रम में ।

महोदय ,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा लगााये गये आक्षेपो की पूर्ति निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :–

बिन्दु संख्या 6 (Complaince of EDS dated 06.03.2018 is awaited) के क्रम मे विभ्निन विकल्पो की केएमएल फाईल सीडी मे संलग्न प्रस्तुत है। (कुल 5 सीडी)

बिन्दु संख्या 1 (Additionl information is needed) के क्रम मे पारेषण लाईन के नीचे आने वाले वृक्षो की सूची जिसमे पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षो की विस्तृत सूची (पांच प्रति मे संलग्न) निम्नानुसार है।

क्रम स.	नाम / प्रजाति	कुल पौधो की संख्या	पौधो की उचाई (मी. में)	अनुमानित गोलाई (से. मी, में)	विवरण
1	टॉटलिश	15	1 से 3 मीटर	11 से 20 सेमी.	उक्त वृक्ष विद्युत लाइन के पास आने से इनकी छटाई (TO BE PRUNE) की जायेगी
2	टॉटलिश	75	1 से 3 मीटर	21 से 30 सेमी.	
3	ककेड़ा	50	2 से 4 मीटर	21 से 30 सेमी.	"
4	कुमठा	50	1 से 2 मीटर	1 से 10 सेमी.	"
5	धोकडा	2	1 से 4 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
6	जुली फ्लोरा	5	3 से 5 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
7	नीम	2	2 से 5 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
8	खेजड़ी	2	3 से 6 मीटर	31 से 45 सेमी.	"
9	टॉटलिश	4	1 से 3 मीटर	11 से 20 सेमी.	उक्त वृक्ष विद्युत टावर के फाउंडेशन व तार खिचने में आने से इन्हे काटा (To be cut) जाएगा
10	टॉटलिश	36	1 से 3 मीटर	21 से 30 सेमी.	"
11	ककेड़ा	35	2 से 4 मीटर	21 से 30 सेमी.	"
12	कुमठा	5	1 से 2 मीटर	11 से 20 सेमी.	"
13	जुली फ्लोरा	20	3 से 5 मीटर	11 से 20 सेमी.	"

2. बिन्दु संख्या 2 (Additionl information is needed) के क्रम मे पारेषण लाईन मे जी.टी.शीट मे टावर लोकेशन दर्शा कर संलग्न प्रस्तुत है। (पांच प्रति मे संलग्न है।)

भवदीय

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

Anil Kumar
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer